छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन नया रायपुर

क्रमांक 2380 / 4167 / 2016 / एक / 5 **नया रायपुर दिनांक 26 .12.2016**

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– भारत के राष्ट्रीय गान संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन के संबंध में।

माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 855 / 2016 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.11.2016 की प्रति संलग्न है। इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.12.2016 द्वारा भारत के राष्ट्रगान के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।

अतएव गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जावे एवं पालन प्रतिवेदन की सूचना इस कार्यालय को दिनांक 30.12.2016 के पूर्व अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें। ताकि भारत सरकार, गृह मंत्रालय को अवगत कराया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्र. क्रमांक 2381 / 4167 / 2016 / एक / 5 **नया रायपुर दिनांक 26 .12.2016**

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ। कृपया अपने स्तर से समुचित निर्देश जारी किया जावे।
2. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) कृपया भारत सरकार, गृह मंत्रालय के परिपत्र का आम–जनता की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।
3. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

O/O CHIEF SECRETARY
Govt. of Chhattisgarh
DAK-CC- 13677
Date: 22 DEC 2016

No. 14/6/2016-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Public Section
***

0 7 DEC 2016

21 DEC 2016

North Block, New Delhi-1
Dated the 06 December, 2016

To,

The Chief Secretaries of all State Governments,
The Chief Secretaries/Administrators of all Union Territories.

Subject:- **Orders relating to the National Anthem of India.**

छत्तीसगढ़ शासन
सा.प्र.वि. कक्ष-5
पंजी क्र. 4167
दिनांक 23/12/16

\- - -

Sir/Madam,

I am directed to enclose a copy of the Hon'ble Supreme Court's Order dated 30.11.2016 delivered in the Writ Petition (Civil) No. 855 of 2016 on the above subject. The Hon'ble Supreme Court in the above said Order has directed as follows:-

(a) There shall be no commercial exploitation to give financial advantage or any kind of benefit. To elaborate, the National Anthem should not be utilized by which the person involved with it either directly or indirectly shall have any commercial benefit or any other benefit.

(b) There shall not be dramatization of the National Anthem and it should not be included as a part of any variety show. It is because when the National Anthem is sung or played it is imperative on the part of every one present to show due respect and honour. To think of a dramatized exhibition of the National Anthem is absolutely inconceivable.

(c) National Anthem or a part of it shall not be printed on any object and also never be displayed in such a manner at such places which may be disgraceful to its status and tantamount to disrespect. It is because when the National Anthem is sung, the concept of protocol associated with it has its inherent roots in National identity, National integrity and Constitutional Patriotism.

(d) All the cinema halls in India shall play the National Anthem before the feature film starts and all present in the hall are obliged to stand up to show respect to the National Anthem.

(e) Prior to the National Anthem is played or sung in the cinema hall on the screen, the entry and exit doors shall remain closed so that no one can create any kind of disturbance which will amount to disrespect to the National Anthem. After the National Anthem is played or sung, the doors can be opened.

②-10-

(f) When the National Anthem shall be played in Cinema Halls, it shall be with the National Flag on the screen.

(g) The abridge version of the National Anthem made by any one for whatever reason shall not be played or displayed.

2. The above is conveyed to you for compliance and necessary action in this regard. You are also requested to give wide publicity in the local print and electronic media so that above Order is followed in letter and spirit.

3. The receipt of this letter may please be acknowledged and action taken in the matter be communicated to this Ministry.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

(V.K. Rajan)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tel. 2309 4376

Copy to:-

1. All Ministries/Departments of Government of India.
2. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
3. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
4. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
5. Cabinet Secretariat, New Delhi.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. All High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 20 Spare copies.

-11- (3) -12-

तत्काल
समयबद्ध

संख्या 14/6/2016-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1
दिनांक 06 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक

विषय : भारत के राष्ट्रगान से संबंधित आदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर वर्ष 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 855 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए दिनांक 30/11/2016 के आदेश की प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश में निम्नानुसार निदेश दिया है:-

(क) इसका वित्तीय फायदा अथवा किसी प्रकार का लाभ देने के लिए किसी प्रकार का व्यवसायिक दुरूपयोग नहीं किया जाएगा। स्पष्टतः, राष्ट्रगान का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति का किसी प्रकार का व्यवसायिक लाभ अथवा अन्य किसी प्रकार का लाभ हो।

(ख) राष्ट्रगान का नाट्य रूपांतर नहीं किया जाएगा और इसे किसी वैरायटी शो के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है अथवा बजाया जाता है तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह इसे यथोचित आदर और सम्मान दे। राष्ट्रगान के नाट्यरूपांतर प्रदर्शन के बारे में सोचना भी पूर्णरूपेण कल्पनातीत है।

(ग) राष्ट्रगान अथवा इसके किसी भाग को किसी वस्तु पर छापा नहीं जाएगा और उसे कभी भी ऐसे स्थान पर इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा जो इसकी मर्यादा के लिए असम्मानजनक और असम्मान के समतुल्य हो। यह इसलिए, क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो इससे संबद्ध प्रोटोकोल की संकल्पना राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय अखंडता और संवैधानिक देशभक्ति की भावना में अंतर्निहित है।

(५)

-/2-

(घ) भारत में स्थित सभी सिनेमा हाल फीचर फिल्म प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान बजाए हाल में उपस्थित सभी व्यक्ति राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए खड़ा होने के लिए बाध्य है।

(ङ) सिनेमा हाल में पर्दे पर राष्ट्रगान बजाए जाने अथवा गाए जाने से पहले प्रवेश और निका द्वार बंद रहेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अंशाति न फैला सके जो राष्ट्रगान के प्रति असम्मान स्वरूप होगी। राष्ट्रगान के बज जाने अथवा गाए जाने के पश्चात द्वार खोले जा सकते हैं।

(च) जब सिनेमा हालों में राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देता रहेगा।

(छ) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से बनाया गया राष्ट्रगान का लघु रूप न तो बजाया जाएगा और ना ही प्रदर्शित किया जाएगा।

2. आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। आपसे यह भी अनुरोध है कि इसका स्थानीय समाचार पत्रों और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार किया जाए ताकि उपर्युक्त आदेश का अक्षरश: पालन किया जा सके।

3. कृपया इस पत्र की पावती दी जाए और की गई कार्रवाई से इस मंत्रालय को अवगत कराया जाए।

संलग्नक – यथोपरि

भवदीय,

वी.के. राजन

(वी.के. राजन)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष : 2309 4376

13 (5) -13-

प्रति प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
3. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।

वी.के. राजन

(वी.के. राजन)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष : 2309 4376